248

संख्याः 370 /XXVI/एक (10)/2013

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग–1

देहरादून, दिनांकः 16 अप्रैल, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजना आयोग हेतु आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च 2013 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना आयोग के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में आयोजनागत पक्ष में ₹20000 हजार (दो करोड़ मात्र) एवं आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में व्यय हेतु संलग्नक् में अंकित विवरणानुसार कुल धनराशि ₹33145 हजार (तीन करोड़ इक्कतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि ₹53145 हजार (पाँच करोड़ इक्कतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

1– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2013 में दिये गये निर्देशानुसार ही व्यय की जायेगी एवं उक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013–14 की नई मदों के कियान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

3– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कडाई से किया जायेगा। मितव्ययता के सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाए तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय नहीं किया जाए जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो तथा उस प्रकरण में व्यय के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

5– संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए तथा व्यय का विवरण नियमित रूप से प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक बी0एम0–8 (पुराना बी0एम0–13) पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

6– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फ्रेजिंग (त्रैमास के आधार पर) नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7– यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–7 के अधीन लेखाशीर्षक "3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय–03 नियोजन अधिष्ठान एवं 04–आयोजनागत विकास कार्यों का मूल्यांकन" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 370 /XXVI/एक (10)/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त विभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
6. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्याः 370 /XXVI/एक(10)/2013, दिनांक 16 अप्रैल, 2013 का संलग्नक।

धनराशि हजार ₹ में

3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें 092–अन्य कार्यालय 03–नियोजन अधिष्ठान	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
01–वेतन		11000
02–मजदूरी		25
03–मंहगाई भत्ता		8500
04–यात्रा व्यय		200
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय		20
06–अन्य भत्ते		1300
07–मानदेय		800
08–कार्यालय व्यय		400
09–विद्युत देय		100
10–जलकर/जल प्रभार		30
11–लेखन सामग्री और फर्मों की छपाई		150
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		50
13–टेलीफोन व्यय		200
15–गाड़ियों का अनुश्रवण और पेट्रोल आदि की खरीद		1000
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		7500
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व		750
18–प्रकाशन		100
22–आतिथ्य व्यय विषयक भता आदि		100
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र		100
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति		220
42–अन्य व्यय		100
45–अवकाश यात्रा व्यय		50
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय		100
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय		300
51–महंगाई वेतन		50
योग (तीन करोड़ इक्कतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र)		**33145**
04–आयोजनागत विकास कार्यों का मूल्यांकन		
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20000	
महायोग= आयोजनेत्तर + आयोजनागत (पांच करोड़ इक्कतीस लाख पैंतालीस हजार)	33145+20000= 53145	

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव।